गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.08.2023 को प्रातः 09:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
15.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
16.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
17.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति महोदय ने प्रेरणादायी उद्बोधन प्रदान किया तथा जीवन यापन के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए सहज प्रवृत्ति की उपयोगिता पर बल दिया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

07/08/2023

07/08/23

विषय क्र. 03. **विश्वविद्यालय में शोधरत् शोधार्थियों एवं मुख्य अन्वेषक को प्राप्त होने वाले आकस्मिक अनुदान एवं आकस्मिक व्यय पश्चात् देयक प्रस्तुतीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया हेतु दिशा – निर्देश तैयार करने संबंधी गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप अनुमोदन बाबत्।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव एवं प्रारूप विचार हेतु अधिष्ठाताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। तदोपरान्त अधिष्ठाताओं के अनुशंसा के साथ विषय विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 04. **सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा वित्तीय बोलियॉ / निविदाओं में वानिकी विभाग, गुरू घासीदास विवश्वविद्यालय के सम्मिलित होने पर विचार संबंधी।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा वित्तीय बोलियॉ / निविदाओं में वानिकी विभाग, गुरू घासीदास विवश्वविद्यालय के सम्मिलित होने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त कार्य के सुचारू संचालन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाय तथा नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 05. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपायों संबंधी (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023 के संबंध में विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपायों संबंधी (तृतीय संशोधन) विनियम, 2023 को अंगीकृत किया जाय।

विषय क्र. 06. **विभिन्न छात्र संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि छात्र संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन को दृष्टिगत रखते हुए शुल्क संरचना पुनरिक्षित कर दिया जाय एवं शुल्क संरचना पुनरक्षण हेतु अधिष्ठाताओं से प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क संरचना पुनरिक्षण हेतु अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 04.08.2023 को आहुत की गई। अधिष्ठाताओं एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–24 से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए नवीन शुल्क संरचना प्रस्तावित किया गया है।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार प्राप्त एवं अनुशंसित शुल्क संरचना का अनुमोदन किया जाय।

07/08/2023 07/08/23

अ.अ.वि.क्र.2 विश्वविद्यालय के सीएसआईटी विभाग के शिक्षक डॉ0 अमित चंदानन की नियुक्ति कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग विभाग में हो चुका है एवं डॉ0 अमित चंदानन ने उक्त विभाग में अपनी उपस्थिति दे दी है। सीएसआईटी विभाग में सेवा के दौरान डॉ0 अमित चंदानन को 03 शोधार्थी आबंटित किये गये थे।

उक्त शोधार्थियों के संबंध में प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि डॉ0 अमित चंदानन सीएसआईटी विभाग में उक्त 03 शोधार्थियों के शोध निर्देशक बने रहेंगे तथा उक्त तीनों शोधाथी सीएसआईटी विभाग के ही शोधार्थी माने जायेंगे। तथापि डॉ0 अमित चंदानन का शोध निर्देशक के रूप में सीट संख्या की गणना उक्त तीन शोधार्थियों को शामिल करते हुए की जायेगी।

अ.अ.वि.क्र.3 सीएसआईटी विभाग द्वारा विभाग में बीसीए पाठ्यक्रम का एक अतिरिक्त बैच जिसकी सीट संख्या 60 हो, प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि बीसीए पाठ्यक्रम का एक अतिरिक्त बैच प्रारम्भ करने की सैद्धांतिक सहमति स्थायी समिति प्रदान करता है।

उक्त पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं/संरचनाओं के व्यवस्था के संबंध में पृथक से प्रशासनिक निर्णय लिया जायेगा।

अ.अ.वि.क्र.4 स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि किसी भी शैक्षणिक विभाग के विभागाध्यक्ष किसी भी प्रकार की नस्तियों का प्रस्तुतीकरण संबंधित अधिष्ठाता के माध्यम से करेंगे। विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत टीप पत्र प्रस्ताव पर संबंधित अधिष्ठाता की टीप/अनुशंसा अनिवार्य है। अधिष्ठाता के टीप/अनुशंसा के अभाव में प्रस्ताव अमान्य किया जा सकता है।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार निर्णय के प्रसारण के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश भी जारी किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.5 विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बी.टेक एवं एम.टेक कार्यक्रमों को ऑन लाईन संचालित किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा इस हेतु प्रस्ताव एवं प्रावधान प्रारूपित किये जाने के लिए समिति गठित की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार समिति गठित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

07/08/2023 | 07/08/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव | **कुलपति/अध्यक्ष**